उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या **147 / 2021** अन्तर्गत धारा **251A RT Act.**

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
रावताराम पुत्र सालूराम जाति जाट, निवासी बुढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. भूराराम पुत्र नथाराम 2. देराजराम पुत्र बागाराम 3. कलाराम पुत्र फुसाराम जाति जाट, निवासी बुढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 4. शाखा प्रबंधक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, भीयाड़ 5. शाखा प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक, उण्डू 6. राज0 राज्य जरिये तहसीलदा शिव 7. कुम्पाराम पुत्र कलाराम 8. किशनाराम पुत्र कलाराम 9. भीमाराम पुत्र कलाराम जाति जाट, निवासी बुढातला तहसील शिव, जिला बाड़मेर 10. शाखा प्रबंधक, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भींयाड़

उपस्थित :— 1. अधिवक्ता प्रार्थी – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।
2. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1 – श्री ईश्वरसिंह भाटी।
3. अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 7 से 9 – देवीलाल कुमावत।

—:: आदेश ::—

दिनांक : 01.02.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थी का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1330 / 394 रकबा 3.5046 हैक्टेयर मौजा बुढातला, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थी को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1149 / 392, 392, 1363 / 394 रकबा क्रमशः 6.5721, 2.1853, 4.7753 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थी के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है। प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रेक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थी को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में जब विप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में चारों ओर काश्त कर लेने से प्रार्थी को अपनी खातेदारी में जाने हेतु अवरोध एवं बाधा उत्पन्न होती है। तब प्रार्थी को रास्ता कटाण करवाने की आवश्यकता हुई। प्रार्थी का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता अपनी खातेदारी भूमि से आगे शिव से फलसुण्ड जाने वाली सड़क से ग्राम चितरोली जाने वाली ग्रेवल सड़क से जुड़ने के लिए चाहा गया है। अतः प्रार्थी का निवेदन है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावें। प्रार्थी नियमानुसार रास्ते हेतु घोषित भूमि की क्षतिपूर्ति / प्रतिकर राशि जमा करवाने हेतु वचनबद्ध है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.22 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब [illegible] कर [illegible] की गई। विप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा आवेदन का [illegible] पेश किया गया [illegible] प्रार्थी संख्या 2 से 5 के बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके [illegible] में लाई जा चुकी [illegible] तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित [illegible] काश्तकारों को नया रास्ता खोलने [illegible] जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी तक जाने हेतु निकटतम्, लघुतम एवं सुगम रास्ता है, जिसकी लम्बाई 66 गट्ठा एवं चौड़ाई 3 गट्ठा है, जिसमे खसरा नम्बर 392 रकबा 2.1850 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149 / 392

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ★ जिला-बाड़मेर ★

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

रकबा 6.5721 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर व खसर नम्बर 1363/394 रकबा 4.7753 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0810 हैक्टेयर भूमि का उपयोग रास्ते हेतु लिया जायेगा।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता प्रार्थी द्वारा चाहा गया है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा में **प्रस्तावित नक्शा** अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावें।

इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर 1149/392 में कोई रास्ता चलायमान नहीं है एवं प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता द्वेष भावना से मुझ विप्रार्थी संख्या 1 को परेशान करने की नियत से प्रस्तावित किया गया है। । अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन झूठा, द्वेषतापूर्ण एवं झूठे तथ्यों के आधार पर पेश होने तथा तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार विप्रार्थी संख्या 1 को उक्त रास्ता स्वीकार नहीं होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

विप्रार्थी संख्या 7 से 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए बिना प्रतिफल राशि लिये तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण का निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में मौजा बुढातला के खसरा नम्बर 392 रकबा 2.1850 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1149/392 रकबा 6.5721 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर व खसर नम्बर 1363/394 रकबा 4.7753 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0810 हैक्टेयर भूमि रास्ते हेतु प्रस्तावित की गई है। साथ ही तहसीलदार मौका रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थी को खेत में पहुंचने हेतु अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, किन्तु वह कटाण रास्ता नहीं है तथा खातेदारों द्वारा बंद कर दिया जाता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की खातेदारी तक पहुंचने हेतु निकटतम, लघुतम एवं सुगम रास्ता है, जो वर्तमान में मौके पर चालु नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई 3 गट्ठा व लम्बाई 66 गट्ठा होगी। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता का होने तथा सबसे निकटतम, लघुतम व सुगम होने के कारण रास्ता कटान का निवेदन किया है। तहसीलदार रिपोर्ट में भी उक्त मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तावित नक्शा के अतिरिक्त प्रार्थी को अपनी खातेदारी तक आने जाने हेतु अन्य निकटतम् कटान रास्ता उपलब्ध नहीं होना बताया गया है। जबकि विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अन्य विकल्प होने का कथन किया गया है किन्तु ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे सिद्ध हो कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी तक आवागमन हेतु अन्य विकल्प उपलब्ध हो। विप्रार्थी संख्या 7 से 9 के अधिवक्ता द्वारा बिना प्रतिफल राशि लिये रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी की आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम, लघुतम के सिद्धांत को मध्यनजर रखते हुए माफिक तहसीलदार मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार कटाण रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 1330/394 रकबा 3.5046 हैक्टेयर मौजा बुढातला, पटवार मण्डल चोचरा तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा नम्बर 1149/392 रकबा 6.5721 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर विप्रार्थी संख्या 2 के खेत खसरा नम्बर 392 रकबा 2.1850 हैक्टेयर में से 0.0324 हैक्टेयर व विप्रार्थी संख्या 3 के खेत खसरा नम्बर 1363/394 रकबा 4.7753 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर, खातेदारी भूमि में से खसरा नम्बर 1149/392 व 392 में रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि रकबा 0.0324, 0.0324 हैक्टेयर कुल रकबा 0.0648 हैक्टेयर तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार तहसीलदार शिव को पूर्व में रास्ता कटाण में जाने वाली कुल भूमि रकबा 0.0648 हैक्टेयर का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। खसरा नम्बर 1363/394 रकबा 4.7753 हैक्टेयर में से 0.0162 हैक्टेयर के खातेदारान् द्वारा बिना प्रतिफल

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.22 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शिव ★ जिला-बाड़मेर ★

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

राशि लिये रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी शिव जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते

आदेश आज दिनांक 01.02.2023 को सरे इजलास सुनाया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव
उपखण्ड अधिकारी
शिव (जिला-बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahaveer Singh Jodha
Date: 2023.02.22 12:47:10 IST
Reason: SelfAttested